न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
—: आदेश :—

26-03-2013

आवेदक **श्री भरत शर्मा**, पिता—स्व0 हनुमान सिंह, सा0—धौरानी टोला, थाना—मोकामा, जिला—पटना के नाम एक एन0पी0बोर स्मॉल आर्म्स हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—04/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या—45/2009 में दिनांक—19.03.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक सामान्य किसान हैं तथा खेती की भूमि दूरस्थ भाग में होने के कारण सुरक्षा के बिन्दु पर हमेशा भय बना रहता है। अभी उनके द्वारा मोकामा में एक संपत्ति क्रय की गयी है। जिसपर असामाजिक तत्वो की नजर है। उनके पास पूर्व से एक रायफल की शस्त्र अनुज्ञप्ति है, जिसे बाहर लेकर जाने में समस्या होती है। साथ हीं आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र ठीकेदारी का कार्य करता है। इस कारण से उन्हें एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाय।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक—640/गो0, दिनांक—19.04.2007 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर0 स्मॉल आर्म्स अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष, मोकामा के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के लड़के जमेशदपुर में ठीकेदारी करते हैं। साथ हीं मोकामा की आपराधिक पृष्ठ भूमि के कारण अपराधी तत्वों से भय बना रहता है। शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार

के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों –के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री भरत शर्मा,** पिता–स्व0 हनुमान सिंह, सा0–धौरानी टोला, थाना–मोकामा, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर0 रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री शर्मा को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।